राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–66 / 2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023 / 195
दायर दिनांक– 08.11.2023
निर्णय दिनांक– 12.07.2024
उनवानी–

1. सलमा पत्नि महबूब अली जाति मुसलमान नि0 रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

——प्रार्थिया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान

—अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री अरविन्द कुमार दाधीच अधि0 प्रार्थिया
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ की स्थाई निवासी है। प्रार्थिया की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ भू0अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है जिसके खाता सं0 1972 के ख0नं0 2751 / 658 रकबा 0.3236 है0 भूमि है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा सम्पूर्ण है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थिया के नाम एकल कब्जे–काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थिया मौके पर काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा प्रार्थिया की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा व दखल नहीं है। प्रार्थिया की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थिया व पड़ौसी खातेदारान् के मध्य नींव, सींव, मेड़ को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थिया की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थिया को अपने खेत में भूमि की बुवाई, जुताई, बिजाई, निराई, जोत करने तथा नींव, सींव मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा रूकावट पैदा ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 को भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थिया की ओर से निवेदन है कि उक्त एकल खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करवाने की कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रार्थिया के पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाया जाना यथोचित बताया एवं प्रकरण मे कोई राजहित प्रभावित नही जाहिर किया।

हमने वकील प्रार्थिया व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी । वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थिया व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थिया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने बावत् यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, तदनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के खाता सं0 1972 के ख0न0 2751/658 रकबा 0.3236 है0 भूमि की पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में सर्वप्रथम सीमाज्ञान करवाया जावें तदनुसार उसके पश्चात सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)